केन्द्रीय सूचना आयोग

द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन

भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2017/60147 दिनांक: 09.10.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2017/50547

अपीलकर्ता : श्री सौरभ कुमार दीक्षित

निर्णय की तारीख : 09.10.2017

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.09.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.10.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एस. एस. रोहिल्ला
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.10.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचना मॉंगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता उल्लेख किया है कि बिंदु सं. से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा शुल्क की मांग की मांग की जा रही है तथा बिंदु सं. 3 एवं 4 से संबंधित सूचनाएं भी नहीं दी गई हैं ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2016/000889 में चूंकि आयोग द्वारा आदेश दिया गया है कि जांच रिपोर्ट की प्रति अपीलकर्ता को भी उपलब्ध करवाई जाए । अतः **आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं प्रदान की गई है तो इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट की प्रति अपीलकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा बिंदु सं 3 के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किए गए तीनों द्वितीय अपीलों में उपलब्ध दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि अपीलकर्ता यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेज उक्त फाइलों में उपलब्ध हैं । यदि उक्त द्वितीय अपील की फाइल किसी अन्य सूचना आयुक्त की रजिस्ट्री को भेज दी गई है तो इस आदेश की प्रति संबंधित सूचना आयुक्त के उप-पंजीयक को इस आदेश का अनुपालन हेतु अग्रसारित किया जाए । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं 4 के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है । उल्लेखनीय है कि द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई उनकी बारी आने पर ही की जाएगी ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

श्रवण कुमार